भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3532

उत्तर देने की तारीख: 20.12.2021

एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम

† 3532. डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री विनायक भाऊराव राऊत :

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त कार्यक्रम किस शैक्षणिक सत्र में आरंभ किया जाएगा और प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होगी;

(ग) अध्यापक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई व्यापक नीति और संस्थागत ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अध्यापकों के प्रशिक्षण को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा विनियमित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या एनसीटीई प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने में विफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या प्रशिक्षित/कुशल शिक्षकों की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) जी हां। एनसीटीई ने दिनांक 26.10.2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अधिसूचित किया है।

(ख) शुरूआत में, चार वर्षीय आईटीईपी को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से प्रायोगिक तौर पर देशभर के 50 चयनित बहु-विषयक संस्थानों में प्रदान किया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की है।

(ग) चार वर्षीय आईटीईपी का विवरण https://ncte.gov.in/WebAdminFiles/RecentAnnouncement/0_27_10_2021_637709061829643386.pdf पर उपलब्ध है।

(घ) और (च): एनसीटीई विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए एनसीटीई अधिनियम, 1993 में निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और नए स्कूलों/ छात्रों की संख्या में वृद्धि से अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

*****